



राजस्थान सरकार  
निदेशालय महिला अधिकारिता  
(महिला एवं बाल विकास विभाग)  
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004



क्रमांक :- प.3(1)निमअ/सामान्य/टाईम्स/2019-11/

२३/६०

जयपुर, दिनांक २०/७/२२

कार्यालय आदेश

निदेशालय महिला अधिकारिता विभाग के अधिकारियों के नवीन दौरों, निरीक्षणों एवं रात्रि विश्राम के वार्षिक लक्ष्य - वर्ष 2022-2023

क्र. सं.	अधिकारी	भ्रमण/दौरे (वार्षिक)	निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम	विशेष विवरण
1	अतिरिक्त निदेशक म.अ.	6	6	क्रम संख्या 1 से 5 तक के अधिकारियों द्वारा आवंटित जिलों के प्रत्येक दो माह में एक दौरा, एक निरीक्षण एवं एक रात्रि विश्राम किये जायेंगे।
2	वित्तीय सलाहकार	6	6	
3	अतिरिक्त निदेशक एसएचजी	6	6	
4	अतिरिक्त निदेशक जैण्डर	6	6	
5	उपनिदेशक म.सुं.प्र.	6	6	
6	कार्यक्रम निदेशक, मीडिया	4	4	अधिकारी द्वारा आवंटित जिलों के प्रत्येक तीन माह में एक दौरा, निरीक्षण एवं एक रात्रि विश्राम किये जायेंगे।
7	जिले में कार्यरत समस्त उपनिदेशक/सहायक निदेशक, म.अ.	8x12=96	8x12=96 निरीक्षण एवं 4x12=48 रात्रि विश्राम	प्रत्येक उपनिदेशक/सहायक निदेशक, म0अ0 द्वारा प्रत्येक माह 8 दौरे, 8 निरीक्षण व 4 रात्रि विश्राम किये जायेंगे। इस प्रकार कुल वार्षिक दौरे 96, निरीक्षण 96 एवं रात्रि विश्राम 48 है।

(रेणु जयपाल)

आयुक्त

महिला अधिकारिता

जयपुर, दिनांक 20/7/22

क्रमांक :- प.3(1)निमअ/सामान्य/टाईम्स/2019-11/ २३/६१-६२  
प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- वरिष्ठ निजी सहायक, आयुक्त, महिला अधिकारिता।
- सम्बन्धित अधिकारीगण, महिला अधिकारिता।
- प्रोग्रामर, महिला अधिकारिता को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

अतिरिक्त निदेशक (एसएचजी)  
महिला अधिकारिता